कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/बजट/बी 1/पीईईओ/2017/24 दिनांकः– 27/12/2017

समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रार. शिक्षा,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मा. शिक्षा,

विषयः– पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी स्तर से शिक्षकों के वेतन आहरण हेतु जारी दिशा निर्देशो की पालना एवं मोनेटरिंग की समीक्षा बैठक।

संदर्भः–शिविरा–प्रारं/बजट/बी–1/पीईईओ/2017–18/22 दिनांक 19.12.2017

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत पदस्थापित निर्धारित वर्ग के अध्यापकों का वेतन आहरण हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प.15(1)प्राशि/2017 पार्ट 2 दिनांक 07.12.2017 के अनुसरण में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार एवं सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में नवीन व्यवस्था को 1 जनवरी 2018 से लागू किए जाने हेतु अब तक हुई प्रगति की समीक्षा हेतु निदेशालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2017 को अपरान्हः 2 बजे बैठक रखी गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार लागू की जा रही नवीन व्यवस्था की प्रगति रिर्पोट एवं यदि कोई व्यवहारिक सुझाव हो तो उसके पूर्ण विवरण सहित उक्त बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सभी उपनिदेशक प्रार.शिक्षा अपने मण्डलाधीन एक ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एंव एक पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को इस बैठक हेतु नामित कर उपस्थित होने बाबत पाबंद करेंगे।

(पी.सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राज.
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/वित्तीय सलाहकार मा.शि विभाग राज. बीकानेर को उक्त बैठक में उपस्थित होने के निवेदन सहित प्रेषित है।
3. अनुभाग अधिकारी, शिक्षण संस्थापन/नियुक्ति/शाला दर्शन अपने अनुभाग से सम्बन्धित पहलुओं की सूचना/दिशा निर्देशों के विवरण सहित उपस्थित होगें।
4. अनुभाग अधिकारी भण्डार को बैठक की समुचित व्यवस्था हेतु।

निदेशक

www.rajteachers.com